

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 88/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
मुथुट हॉम फिन (इण्डिया) लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी कुश कुमार स्वर्णकार
पंजीकृत कार्यालय:- 1201 व 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न
एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई-400063
शाखा कार्यालय:- 1st फ्लोर, यश टॉवर, बजाज रोड, सीकर, राजस्थान

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. सुनील कुमार पुत्र बीरबल

प्रथम पता:- ग्राम भाखरवासी, तिहावली, तहसील-रामगढ़, जिला-सीकर,
राजस्थान-332307

द्वितीय पता:- पट्टा नंबर 22, खसरा नंबर 253, वार्ड नंबर 02, हरिजनों का
मोहल्ला, भाखरवासी, तिहावली, तहसील रामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान 332307

2. बीरबल पुत्र जोधाराम

प्रथम पता:- ग्राम भाखरवासी, तिहावली, तहसील-रामगढ़, जिला-सीकर,
राजस्थान-332307 क

द्वितीय पता:- पट्टा नंबर 22, खसरा नंबर 253, वार्ड नंबर 02, हरिजनों का
मोहल्ला, भाखरवासी, तिहावली, तहसील रामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान 332307

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 03 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः सुनील कुमार पुत्र बीरबल एवं बीरबल पुत्र जोधाराम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बीरबल पुत्र जोधाराम के स्वामित्व की बंधक

१
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



सम्पत्ति पट्टा नंबर 22, खसरा नंबर 253, वार्ड नंबर 02, हरिजनों का मोहल्ला, भाखरवासी, तिहावली, तहसील रामगढ, जिला सीकर, राजस्थान 332307 में स्थित है। जिसका नाप उत्तर-दक्षिण 50 फीट 6 इंच व पूर्व-पश्चिम 53 फीट एवं कुल क्षेत्रफल 297.38 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में खाली भूमि, उत्तर दिशा में नारायण सिंह की भूमि एवं दक्षिण दिशा में हरपाल की भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹5,18,945/- (अक्षरे रूपये पांच लाख अठारह हजार नौ सौ पैतालीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.12.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 12.12.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः सुनील कुमार पुत्र बीरबल एवं बीरबल पुत्र जोधाराम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय



2
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बीरबल पुत्र जोधाराम** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नंबर **22**, खसरा नंबर **253**, वार्ड नंबर **02**, हरिजनों का मोहल्ला, भाखारवासी, तिहावली, तहसील रामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान **332307** में स्थित है। जिसका नाप उत्तर-दक्षिण 50 फीट 6 इंच व पूर्व-पश्चिम 53 फीट एवं कुल क्षेत्रफल **297.38 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रास्ता, पश्चिम दिशा में खाली भूमि, उत्तर दिशा में नारायण सिंह की भूमि एवं दक्षिण दिशा में हरपाल की भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **03 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



7
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर